न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 71/2019

अपीलांट

नारायणलाल पुत्र थानाराम जाति मारू कुम्हार, निवासी जगतनाड़ी, भांगेसर रोड़, तहसील व जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

भुमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महावीर सिंह कुम्पावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक :- 12/10/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाली द्वितीय पटवार हल्का पाली द्वितीय भु अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र पाली द्वितीय, तहसील पाली जिला पाली में अपीलांट की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भुमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 328 रकबा 95.18 बीघा(15.5237 हैक्टेयर) आराजी आई हुई है। जिसमें अपीलांट की खातेदारी में अपीलांट का नाम नाहरमल वल्द थानाराम का हिस्सा 1/6 दर्ज हैं जबकि अपीलांट का नाम नारायणलाल पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

थानाराम समस्त दस्तावेज में है। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धिकरण हेतु वाद पेश कर निवेदन किया, नाहरमल के स्थान पर नारायणलाल नाम का शुद्धिकरण करते हुए राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम दुरस्तिकरण किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। साथ ही बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा अनुशंषा करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के विपरित जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के समस्त मामले को नजरअंदाजी करते हुये पत्रावली पर अपीलांट के रेकर्ड के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैक खाते की पासबुक पर विश्वास नही कर तथा अपीलांट की साक्ष्य जिसका कोई खण्डन नही किया गया है तथा न ही रेकर्ड पर है फिर भी विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद जिका मामला मात्र शुद्धि एवं दुरस्ती का है मूल नाम नारायणलाल उर्फ नाम नाहरमल होने तथा दस्तावेजों आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैक खाते की पासबुक में नारायणलाल होने से अपीलांट को वर्तमान में कृषि ऋण अनुदान, फसली ऋण, के.सी.सी. इत्यादि सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। उक्त नाम शुद्धि व दुरस्ती से हस्तगत प्रकरण मे वर्णित आराजी के सहखातेदार के हित अधिकार प्रभावित नही हो रहे है इसलिए अन्य सह खातेदारा को पक्षकारा बनाया जाना आवश्यक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यो को दरकिनार करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यो से परे जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे। एवं अपीलांटगण का उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे।

राजकीय पैरोकार द्वारा हस्तगत प्रकरण में उक्तानुसार कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। एवं साथ ही हाजा न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक राअअ/2021/733 दिनांक 14.09.2021 द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित में तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि उक्तानुसार नाम शुद्धिकरण किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही होगी।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाली द्वितीय पटवार हल्का पाली द्वितीय भु अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पाली द्वितीय, तहसील पाली जिला पाली में अपीलांट की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भुमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 328 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

95.18 बीघा(15.5237 हैक्टेयर) आराजी आई हुई है। उक्त आराजी के संबंध मे वाद पेश कर अपीलांट की खातेदारी में अपीलांट का नाम नाहरमल वल्द थानाराम का हिस्सा 1/6 दर्ज हैं जबकि अपीलांट का नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम समस्त दस्तावेज में है। उक्त आराजी में अपीलांट का राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि नाहरमल पुत्र थानाराम एवं नारायणलाल पुत्र थानाराम दोनो ही एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2021/2827 दिनांक 28.09.2021 से भी पुख्ता होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2019 बअनवान नारायणलाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार पाली को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांटगण को तहसीलदार पाली (राजपैरोकार भूमिधारी) की स्वीकारोक्ति (जिसके अनुसार नाहरमल पुत्र थानाराम एवं नारायणलाल पुत्र थानाराम दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति का होना माना है) के आधार पर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाली द्वितीय पटवार हल्का पाली द्वितीय भु अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पाली द्वितीय, तहसील पाली जिला पाली में अपीलांट की खातेदारी आधिपत्य की कृषि भुमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 328 रकबा 95.18 बीघा(15.5237 हैक्टेयर) आराजी आई हुई है। उक्त आराजी के संबंध मे वाद पेश कर अपीलांट की खातेदारी में अपीलांट का नाम नाहरमल वल्द थानाराम का हिस्सा 1/6 दर्ज हैं जबकि अपीलांट का नाम नारायणलाल पुत्र थानाराम समस्त दस्तावेज में है। उक्त आराजी में अपीलांट का राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धिकरण किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार पाली अपीलांट का नाम राजस्व अभिलेख में नारायण लाल पुत्र थानाराम एवं नाहरमल पुत्र थानाराम शुद्ध(Rectify) करके राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से नाम दर्ज करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली